बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

संकल्प

श्री सुरेन्द्र प्रसाद मेहता, तत्कालीन श्रम अधीक्षक, मुजफ्फरपुर सम्प्रति सेवा निवृत के विरूद्ध श्रमायुक्त, बिहार के पत्रांक–2/ई1 (राज)–20109/2015 2479 दिनांक 3.6.16 तथा पत्रांक–2/ई1 (राज)–20109/2015 233 दिनांक–19.1.17 द्वारा प्रपत्र "क" में प्रतिवेदित आरोपों पर बिहार राज्यपाल बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 43 (ख) परन्तुक (क) के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हैं। बिहार राज्यपाल यह भी आदेश देते हैं कि बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 में विभागीय कार्यवाही के लिये जो प्रक्रिया उपबंधित है, उसी रीति से श्री सुरेन्द्र प्रसाद मेहता, सेवा निवृत श्रम अधीक्षक, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध आरोपों की जॉच की जाय। कदाचार के आरोपों का सारांश, जिनके सम्बन्ध में जॉच करने का प्रस्ताव है, अनुलग्नक –1 तथा लेख्यों और साक्ष्यों की सूची जिनके द्वारा आरोपों को प्रमाणित किया जाना है, अनुलग्नक–2 के रूप में संलग्न है।

(2) श्री सुरेन्द्र प्रसाद मेहता, सेवा निवृत श्रम अधीक्षक, मुजफ्फरपुर को निर्देश दिया जाता है कि वे इस संकल्प की प्राप्ति के एक पक्ष (पन्द्रह दिन) के अन्दर अपने बचाव का लिखित अभिकथन प्रस्तुत करें और यह अभिकथित करें कि क्या वे चाहते हैं कि स्वयं उन्हें व्यक्तिगत रूप से सुना जाय।

(3) श्री सुरेन्द्र प्रसाद मेहता, सेवा निवृत श्रम अधीक्षक, मुजफ्फरपुर को सूचित किया जाता है कि केवल उन्हीं आरोपों के संबंध में जॉच की जाएगी जो उन्हें स्वीकार नहीं है। इसलिए उन्हें विशिष्टतः प्रत्येक आरोप को स्वीकार या अस्वीकार करना चाहिए।

(4) बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 (5) (ग) के अन्तर्गत डॉ0 आनन्द, संयुक्त श्रमायुक्त सह–सचिव, बिहार सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, बिहार को इस विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु जॉच पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है तथा श्री अरूण कुमार, अवर सचिव (श्रम पक्ष) को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

(5) श्री सुरेन्द्र प्रसाद मेहता, सेवा निवृत श्रम अधीक्षक, मुजफ्फरपुर को सूचित किया जाता है कि कंडिका–2 में निर्धारित अवधि तक अपने बचाव में लिखित अभिकथन प्रस्तुत नहीं करते है या जॉच पदाधिकारी के समक्ष स्वयं उपस्थित नहीं होते हैं या बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत नियमों तथा नियमों के आलोक में निर्गत निर्देशों का अनुपालन नहीं करते हैं तो जॉच प्राधिकार उनके विरूद्ध एक पक्षीय जॉच कर सकते है।

(6) श्री सुरेन्द्र प्रसाद मेहता, सेवा निवृत श्रम अधीक्षक, मुजफ्फरपुर का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है कि वे किसी राजनैतिक या बाहरी दबाब, अपनी सेवा से संबंधित बातों के लिए अपने उच्च्य पदाधिकारी पर नहीं दिलवायेगें अथवा दिलवाने का प्रयास नहीं करेंगे। अगर किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा इन आरोपों या कार्यवाही के संबंध में कोई आवेदन पत्र प्राप्त होता है तो यह समझा जाएगा कि श्री मेहता को इसकी जानकारी है और उन्हीं के द्वारा यह दिलवाया गया है तथा इसके लिये संगत नियमावली के अधीन श्री सुरेन्द्र प्रसाद मेहता, सेवा निवृत श्रम अधीक्षक, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध अलग से कार्रवाई की जाएगी।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति आरोपित पदाधिकारी श्री सुरेन्द्र प्रसाद मेहता, तत्कालीन श्रम अधीक्षक, मुजफ्फरपुर सम्प्रति सेवा निवृत (वर्त्तमान पता– श्री सुरेन्द्र प्रसाद मेहता, सेवा निवृत श्रम अधीक्षक, रेणु काम्प्लेक्स, उत्तरी पानी टंकी के पास, भूतनाथ रोड, पटना–26) को **निबंधित डाक** से साक्ष्यों की प्रति के साथ आरोप प्राप्त करायी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(संजय कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

कृ0पृ0उ0

15 Shankalp

ज्ञापांक– 6/श्रम वि0 आ0 (02)–41/2015 श्र0सं0– 637 पटना, दिनांक–16/3/2017

प्रतिलिपि– निम्नांकित को प्राप्त करायी जाय :–

(1) श्री डॉ0 आनन्द, संचालन पदाधिकारी–सह–संयुक्त श्रमायुक्त–सह–सचिव, बिहार सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि प्रसंगाधीन विभागीय कार्यवाही की जॉच तीन माह के अन्दर पूर्णकर जॉच प्रतिवेदन तीन प्रतियों में सरकार. को समर्पित करने का कष्ट किया जाय। कार्यवाही अभिलेख में एक आदेश फलक आर्डर सीट जुड़ा रहना चाहिए।

(2) श्री अरूण कुमार, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी–सह–अवर सचिव (श्रम पक्ष), श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। श्री अरूण कुमार, प्रसंगाधीन विभागीय कार्यवाही में सरकार का पक्ष प्रस्तुत करेंगे।

निबंधित (3) श्री सुरेन्द्र प्रसाद मेहता, आरोपित पदाधिकारी–सह–सेवा निवृत श्रम अधीक्षक, मुजफ्फरपुर पता– श्री सुरेन्द्र प्रसाद मेहता, सेवा निवृत श्रम अधीक्षक, रेणु काम्प्लेक्स, उत्तरी पानी टंकी के पास, भूतनाथ रोड, पटना–26 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(श्री सुरेन्द्र प्रसाद मेहता को निबंधित डाक से संकल्प की प्रति प्राप्त करायी जाय।)

अनु0–यथोक्त (संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं आरोपित पदाधिकारी को आरोप प्रपत्र "क" एवं साक्ष्यों की प्रति संकल्प के साथ प्राप्त करायी जाय)।

(4) श्रमायुक्त, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(5) सभी संयुक्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग (प्रभारी प्रशाखा–1,5 एवं 6) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(6) सभी उप सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(7) प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग के प्रधान आप्त सचिव, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(8) सभी प्रशाखा पदाधिकारी एवं आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(संजय कुमार सिंह) 16/3/17
सरकार के संयुक्त सचिव

15/3/17